The Uttar Pradesh Town Improvement (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 8 of 1972

Keyword(s):
Land, Street Alignment, Building Line, Municipal Committee, Local Area

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

135724

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 मई, 1970 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यू० पी० टाउन एम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलाएगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० 8, 1919 में नयी धारा 67 जी-जी का रखा जाना।

2—यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 67-जी के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

देयों और शास्तियों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

"67-जी-जी—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षतिमूल्य, कर या शुल्क के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हो अथवा जल-परिव्ययों या किसी भी अन्य परिव्यय या किराये या अधिमूल्य के रूप में अथवा ट्रस्ट द्वारा गृह-निर्माण या उसके सुधार के लिए दिए गए किसी ऋण के रूप में अथवा क्रय-विक्रय पर बेचे गए गृहों के मूल्य के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 43 जनरल (लेग०)—1972—1,799+50 (मे०)

Price 05 Paise.